न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–329/17 (2017/00199)

01. श्रीनारायण पुत्र रामकरण,
02. रतनलाल पुत्र रामकरण,
03. मुकेश पुत्र रामदेव,
04. मु. ग्यारसी बेवा रामदेव,
05. हरिराम पुत्र गोपी,
06. रामजीलाल पुत्र गोपी,
07. मु. सुप्यार देवी बेवा गोपी,
08. अशोक पुत्र नारायण,
09. परसाराम पुत्र नारायण,
10. कमला बेवा नारायण,
11. मोहन पुत्र रोडूराम,
12. संता बेवा रोडूराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम किशोरपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर।
13. गीता देवी पुत्री रोडूराम पत्नी गणेश, जाति जाट निवासी ग्राम बिहारीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
14. श्रीमती नीर पुत्री रोडूराम पत्नी गणेश, जाति जाट, निवासी ग्राम हाजीपुरा, तहसील पीपलू जिला टोंक।
15. श्रीमती सोहनी पुत्र रोडूराम, पत्नी मंगलराम, जाति जाट, निवासी ग्राम हाजीपुरा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामनाथ पुत्र स्व. भैरू बक्ष,
02. लादूराम पुत्र स्व. भैरूबक्ष,
03. शिवराज पुत्र स्व. बालूराम,
04. राजाराम पुत्र स्व. बालूराम,
05. छोटूराम पुत्र स्व. बालूराम,
06. धमेन्द्र पुत्र स्व. बालूराम,
07. मु. ग्यारसी देवी बेवा स्व. बालूराम,
08. चतुभुर्ज पुत्र स्व. सूरजकरण,
09. सुखलाल पुत्र स्व. सूरजकरण,
10. गणेश पुत्र स्व. सूरजकरण,
11. लालाराम पुत्र स्व. सूरजकरण,
12. कानाराम पुत्र स्व. सूरजकरण,
13. रामेश्वर पुत्र स्व. सूरजकरण,
14. सीताराम पुत्र स्व. सूरजकरण,
15. कैलाश पुत्र स्व. बद्री,
16. शंकर पुत्र स्व. बद्री,
17. मु0 मीरा बेवा स्व. ब्रदी,
18. मु0 नानगी बेवा स्व.सूरजकरण,
19. मु0 मनभर बेवा स्व. सूरजकरण,
20. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत किशोरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

---मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

22. शाखा प्रबन्ध यूको बैंक फागी, शाखा फागी, जयपुर।
23. उप पंजीयक जरिये नायब तहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
24. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया, फागी शाखा फागी, जयपुर।
25. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा जरिये शाखा प्रबन्ध जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैकं नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
26. शाखा प्रबन्ध एस.बी.आई. फागी, शाखा फागी, जयपुर।
27. शाखा प्रबन्ध एस.बी.आई बगरू शाखा बगरू, जयपुर।
29. हजारी पुत्र रोडूराम, जाति जाट, ग्राम किशोरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
30. अनोखी देवी पुत्री रामदेव पत्नी रामकिशोर, जाति जाट, निवासी ग्राम अरनिया तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
31. विमला देवी पुत्री रामदेव पत्नी महराम, जाति जाट, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
32. श्रीमत प्रभू पुत्री रामकरण पत्नी लादूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
33. श्रीमती काली पुत्री घासी, पत्नी रामकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम जोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
34. श्रीमती बदाम पुत्री स्व. घासी पत्नी श्योजीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जोडिन्दा भोजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 21.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर (द्वितीय) के आदेश दिनांक 30.08.2017 (प्रकरण संख्या 6/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 45 व नामान्तरकरण संख्या 46 एक ही दिन स्वीकार किये गये है इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान क्रेता व विक्रेता ग्राम पंचायत में मौजूद थे चूँकि क्रेता खातेदार सूरजकरण, रामनाथ, बालू व लादू पिसरान भैरूबक्ष ने अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा बंजड दोयम को अपीलान्ट के पूर्वज छीतर पुत्र श्रीबक्ष, घासी पुत्र भक्तावरा, रामकरण, बोद्या पुत्र मांगू जाट को 75/-रूपये में विक्रय किया है और इस बात की ताईद भैरूबक्ष के सबसे बडें लड़के सूरजकरण ने नामान्तरकरण पर अंगूठा निशानी की है और नामान्तरकरण क्रेतागण और उनके वंशज वर्तमान अपीलान्ट व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 22 से 34 काबिज है खसरा नम्बर 164 में मकान भी बना रखा है और सन् 1963

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में खुले नामान्तरकरण को वर्ष 2017 में चुनौदी दी है और जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को नजरअंदाज कर और मियाद के बिन्दु पर कोई स्पष्ट निर्णय न देकर जो निर्णय दिया है, वह सरासर गलत एवं अवैधानिक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 व 33 में नामान्तरकरण खोलने की शक्तियॉ दी है उनमें ग्राम पंचायत को भी दी है तथा राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख 1957 के नियम 132 में विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाना है, यदि भूमि का बेचान 100/–सौ रूपये या उससे अधिक की राशि का हो तो ही पंजीयन कराना आवश्यक होता है अन्यथा पंजीयन की कोई आवश्यकता नही होती है चूॅकि नामान्तरकरण संख्या 46 में बेचान 75/–पिच्चहत्तर रूपये का है इसलिये बेचान के पंजीयन की कोई आवश्यकता भी नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू को नजर अंदाज कर निर्णय देने में सरासर गलती की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपनी अपील में सर्वथा मिथ्या तथ्य अंकित किये है क्योंकि क्रेता छीतर पुत्र श्रीबक्ष और घासी पुत्र भक्तावारा सन् 1963 में जब यह नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तब वे ग्राम पंचायत किशोरपुरा के पंच नही थे बल्कि छीतर व घासी अन्य व्यक्ति थे इसलिये ग्राम पंचायत ने कोई नामान्तरकरण पंचों के नाम तस्दीक नही किया क्योंकि क्रेतागण नामान्तरकरण तस्दीक करने के दिन ग्राम किशोरपुरा के पंच नही थे और अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी जांच के बिना जो निर्णय दिया है, वह सरासर अवैधानिक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1982 (दी ट्रांसफर ऑफ प्रोपटी एक्ट) के प्रावधानों को भी सही रूप से नही समझा है क्योंकि जब बेचान 75/–रूपये का ही था और उसके पंजीयन की आवश्यकता नही थी तो बेचान के लिए लिखित तहरीर होना भी आवश्यक नही था तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1982 की धारा 9 स्पष्ट करती है कि मौखिक बेचान भी किया जा सकता है इस प्रकार जब बेचान की प्रक्रिया कानून के अनुसार सही थी तो उस बैचान के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की अपील में कोई आपत्ति नही की जा सकती और न ही बेचान को अवैध करार दिया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू को नजर अंदाज कर निर्णय देने में सरासर गलती की है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.12.63 को खोला उस रोज रेस्पोडेन्ट के पूर्वज सूरजकरण, बालू, रामनाथ व लादू पुत्रान भैरूबक्ष के नाम भी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 45 उसी रोज खुला है और जो नामान्तरकरण संख्या 46 खोला गया है उस समय किसी भी खातेदार ने आपत्ति ग्राम पंचायत में नही की बल्कि सूरजकरण ने अपने बेचान की सहमति दी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के तर्कों को आधार मानकर जो निर्णय दिया है, वह सरासर गलत

है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर (द्वितीय) दिनांक 30.08.17 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.12.1963 को बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक श्री भैंरूबक्ष पुत्र रूघनाथ का वर्ष 1963 में स्वर्गवास हो गया, श्री भैंरूबक्ष की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 45 ग्राम पंचायत किशोरपुरा ने दिनांक 08.12.1963 को भैरूबक्ष के चारों पुत्रों सूरजकरण, रामनाथ, बालू व लादू पुत्रान भैंरूबक्ष के नाम तस्दीक किया जिसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में उपरोक्त वर्णित चारों व्यक्तियों का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित हो गया, सूरजकरण पुत्र भैंरूबक्ष ने भूमि खसरा नम्बर 164 का कोई विक्रय कभी छीतर पुत्र श्रीबक्ष, घासी पुत्र भक्तावरा, रामकरण व बोद्या पुत्रान मांगू जाट को नही किया, ना तो कोई विक्रय पत्र कभी तहरीर किया गया और ना ही कभी किसी विक्रय पत्र का कोई पंजीयन कराया गया परन्तु फिर भी सूरजकरण द्वारा खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का कोई तथाकथित विक्रय उक्त व्यक्तियों के पक्ष में किया जाना जाहिर करते हुए नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया और सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा ने उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.12.1963 को तस्दीक कर दिया, उक्त नामान्तरकरण की पुष्ठ पर सूरजकरण की तथाकथित अंगूठा निशानी के साथ क्रेतागण छीतर, घासी, छीतर व रामकरण की अंगूठा निशानी भी अंकित है जबकि वास्तव में ना तो कभी उक्त भूमि छीतर वगैरह को विक्रय की गई है, ना ही कभी उक्त भूमि का कब्जा उन्हे संभलाया गया है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 164 पर आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 19 ही काबिज रहकर काश्त कर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि राजस्व भू अभिलेखों में खसरा नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को छीतर पुत्र श्रीबक्ष हिस्सा 1/3, घीस्या पुत्र भक्तावरा हिस्सा 1/3 तथा रामकरण व बोदू पुत्रान मांगू हिसा 1/3 का नाम अंकित होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उन्होने आपस में विभाजन कर तहसीलदार फागी से तकासमें का अवैध नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 05.10.1977 को तस्दीक करवा लिया जबकि खसरा नम्बर 164/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा घीस्या पुत्र भक्तावरा, खसर नम्बर 164/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा रामकरण व बोदू पुत्रान मांगू के नाम तथा खसरा नम्बर 164/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा छीतर पुत्र श्रीबक्ष के नाम करवा लिया जबकि मौके पर व राजस्व नक्शें में आज भी उक्त खसरा नम्बर 164 सम्पूर्ण एक ही खसरा नम्बर के रूप में दर्ज है, भूमि विवादग्रस्त पर रेस्पोडेन्ट निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिये रेस्पोडेन्ट्स को भू राजस्व अभिलेखों मे किये गये अवैध इन्द्राजात की कोई जानकारी नही हो सकी।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि सूरजकरण पुत्र भैंरूबक्ष ने भूमि खसरा नम्बर 164 का कोई विक्रय कभी छीतर पुत्र श्रीबक्ष, घासी पुत्र भक्तावरा, रामकरण व बोद्या पुत्रान मांगू जाट के पक्ष में नही किया, ना तो कोई विक्रय पत्र कभी तहरीर किया गया और ना ही कभी किसी विक्रय पत्र का कोई पंजीयन कराया गया परन्तु फिर भी सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा तथाकथित विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.12.1963 को बाला–बाला ही तस्दीक कर दिया गया है, ऐसे नामान्तरकरण को तस्दीक करने का ग्राम पंचायत किशोरपुरा को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, सूरजकरण या सूरजकरण के किसी भी भाई ने कभी भी उक्त भूमि का कोई विक्रय कभी भी छीतर वगैरह को नही किया और ना ही सूरजकरण अकेला ऐसा कर सकता था क्योंकि भूमि भैंरूबक्ष के उपरोक्त वर्णित चारों पुत्रों के नाम दर्ज थी जिसे अकेले सूरजकरण को हस्तान्तरण करने का कानून कोई अधिकार प्राप्त भी नही था, अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नही होता परन्तु फिर भी ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य था। उन्होने कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को देना माना भी जावें तो भी वह अधिकार ग्राम पंचायत के कौरम को दिया गया था और नामान्तरकरण पंजिका में जिन पंचों घासी व छीतर के हस्ताक्षर है, वे ग्राम पंचायत किशोरपुरा के ही पंच है इस प्रकार उन पंचों ने अपने ही पक्ष में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो पूर्णतः अवैध है, ग्राम पंचायत को ऐसे नामान्तरकरण को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होता क्योंकि कोई व्यक्ति अपने ही केस को न्यायालय के रूप में निर्णित नही कर सकता ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 08.12.1963 में ग्राम पंचायत के उक्त पंच घासी व छीतर की उपस्थिति दर्ज है, जिस बैठक की कार्यवही में ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर भी नही है जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण जालसाजी पूर्वक बिना क्षेत्राधिकार के तस्दीक किया गया। उन्होने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 164 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा है जिसका राजस्व लगान 37.50 रूपये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है ऐसी स्थिति में वे अपनी उक्त आराजी को केवल 75/–रूपये में बेच ही नही सकते, उक्त आराजी की कीमत वर्ष 1963 में भी हजारों रूपये थी, उक्त भूमि का बेचान किसी भी अवस्था में केवल 75/–रूपये में हो सकना संभव ही नही है तथा ऐसे किसी विक्रय पत्र के अस्तित्व के सम्बन्ध में ना तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित किये है, और ना ही तस्दीक की भाषा में ऐसे किसी विक्रय पत्र का कोई उल्लेख है जिससे यह संदेह से बाहर स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण बिना किसी आधार व औचित्य के फर्जकारी कर तस्दीक किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भैंरूबक्ष की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 08.12.1963 को तस्दीक किया जाकर

P.T.O.

भैंरूबक्ष के चारों पुत्रों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जबकि तथाकथित बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 46 तो दिनांक 19.11.1963 को ही वादग्रस्त आराजी पांच वर्ष पूर्व ही तथाकथित बेचान करने का कथन अंकित करते हुये भरा जा चुका था। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति द्वारा भूमि का बेचान करना बता रहे है उसे उक्त भूमि विरासत में ही दिनांक 08.12.1963 को प्राप्त हुई है तो वह व्यक्ति उक्त आराजी को पांच वर्ष पूर्व ही बेचान कैसे नही सकता है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर भैंरूबक्ष के जीवनकाल में स्वयं भैंरूबक्ष तथा भैंरूबक्ष के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिस सूरजकरण, रामनाथ, बालू व लादू तथा सूरजकरण व बालू का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उसके कानूनी उत्तराधिकार निरन्तर भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वे ही उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है, तथाकथित क्रेतागण का भूमि खसरा नम्बर 164 का कभी वास्तविक कब्जा हस्तान्तरित नही किया गया है, वास्तबिक कब्जा की जांच किये बिना अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने जो नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच करके एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई की। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम तो अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विक्रय दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है, द्वितीय वादग्रस्त आराजी के खातेदार भैंरूबक्ष की विरासत के आधार पर भैंरूबक्ष के चारों पुत्र सूरजकरण, रामनाथ, बालू व लादू के नाम नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 08.12.1963 को तस्दीक हुआ है जबकि नामान्तरकरण संख्या 46, विरासत के नामान्तरकरण संख्या 45 से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का पांच वर्ष पूर्व ही बेचान करने का तथ्य अंकित करते हुए दिनांक 19.11.1963 को भरा गया है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब सूरजकरण के हक में उक्त आराजी दिनांक 08.121963 को ही आई है तो सूरजकरण उक्त आराजी को पांच वर्ष पूर्व बेचान कर ही नही सकता एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें विरासत के आधार पर भैंरूबक्ष के चारों पुत्रों का सामान भाग में हक व हिस्सा निहित है जबकि नामान्तरकरण पर केवल एक पुत्र सूरजकरण द्वारा बेचान का तथ्य अंकित है ऐसी स्थिति में सूरजकरण को अपने अन्य भाईयों के हिस्से की आराजी का बेचान करने के अधिकार कानूनन प्रदत्त नही है तथा ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि क्रेतागण छीतर पुत्र श्रीबक्ष व घासी पुत्र भक्तावरा ये दोनों ही पंचायत के पंच थे जिनका नामान्तरकरण पंजिका एवं ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में अंगूठा निशानी अंकित की हुई है जिससे ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा अपने ही पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 08.12.1963 को उचित ठहराये जाने के कोई भी ठोस कारण उपलब्ध नही थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2017 पारित कया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।